



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, सोमवार, 17 अगस्त, 2020
श्रावण 26, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन
राज्य कर अनुभाग-2

संख्या 883/ग्यारह-2-20-9(47)-17-उ०प्र०अधि०-1-2017-आदेश(139)-2020
लखनऊ, 17 अगस्त, 2020

अधिसूचना

प०आ०-195

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, 2020 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 15 सन् 2020) (जिसे आगे उक्त अध्यादेश कहा गया है) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, एतद्द्वारा 30 जून, 2020 को उस तारीख के रूप में, नियत करती हैं जिस तारीख को उक्त अध्यादेश की धारा 2 और 12 के उपबंध प्रवृत्त होंगे।

आज्ञा से,
आलोक सिन्हा,
अपर मुख्य सचिव।

IN pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no. 883/XI-2-20-9(47)-17-U.P.Act-1-2017-Order(139)-2020, dated August 17, 2020:

No. 883/XI-2-20-9(47)-17-U.P.Act-1-2017-Order(139)-2020

Dated Lucknow, August 17, 2020

IN exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Uttar Pradesh Goods and Services Tax (Third Amendment) Ordinance, 2020 (U.P. Ordinance no. 15 of 2020) (hereinafter referred to as the said Ordinance), the Governor, hereby appoints the 30th day of June, 2020, as the date on which the provisions of section 2 and 12 of the said Ordinance, shall come into force.

By order,
ALOK SINHA,
Apar Mukhya Sachiv.